

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 5 (3) एम.ई./ग्रुप-1/2016

जयपुर, दिनांक: 03.02.2017

1. सचिव,

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्,
नेल्सन मंडेला मार्ग,
पाकेट-10, सेक्टर-बी,
वसंत कुंज,
नई दिल्ली 110070

2. रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी,

फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,
कम्पाईण्ड काउन्सिल बिल्डिंग, कोटला रोड़,
आईवन -ई-गालिब मार्ग, नई दिल्ली।

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले नये संस्थान को निरापत्ती प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत।

महोदय,

निर्देशानुसार सत्र 2017-18 में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले फार्मैसी संस्थानों के लिये उनके सामने अंकित प्रवेश क्षमता एवं पाठ्यक्रमों के अनुसार निरापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

S. No.	Name of the Trust/Society	Name of the proposed Institute	Intake Capacity	Session for which NOC sought	Course
1.	राजस्थान देहली-एजुकेशन सोसाइटी हिण्डौन, जिला करौली	सौरभ कॉलेज ऑफ फार्मैसी ग्रा-पो.-खेड़ा हिण्डौन-करौली रोड तह- हिण्डौन जिला करौली (राज0)	50	2017-18	डिप्लोमा इन फार्मैसी (डी0 फार्मा)
2.	ग्रुपनेट ऐजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, 12th माइल स्टोन, अलवर-भिवाडी स्टेट हाईवे, ग्राम बलदेवबास, अलवर	नार्थरन इन्सटीट्यूट ऑफ फार्मैसी एण्ड रिसर्च, 12th माइल स्टोन, अलवर-भिवाडी स्टेट हाईवे, ग्राम बलदेवबास, अलवर	50	2017-18	डिप्लोमा इन फार्मैसी (डी0 फार्मा) एवं बैचलर ऑफ फार्मैसी (बी0 फार्मा)
3.	अनन्ता चैरीटेबल ऐजुकेशन सोसाइटी न्यू केशव नगर, उदयपुर	अनन्ता इन्सटीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटीकल साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टर, छण्भण्डे ग्राम कालीवास, तह0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द 313202	50	2017-18	डिप्लोमा इन फार्मैसी (डी0 फार्मा) एवं बैचलर ऑफ फार्मैसी (बी0 फार्मा)

3/2/17

सूचित हों कि उपरोक्त के अलावा निजी क्षेत्र में फार्मसी संस्थान स्थापित किये जाने के अन्य प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निरापत्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

आशय पत्र/नियपत्ती प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है:-

1. ट्रस्ट/संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम तथा परिषद द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों की शब्दशः पालना करनी होगी।
2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा एवं राज्य की नीति के अनुसार आरक्षण की पालना करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में संस्थान को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा प्रथम वर्ष की कक्षाएँ चलाने के लिये भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्थान/सोसायटी/ट्रस्ट बाध्य होगी।
5. संस्थान को परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा।
6. संस्थान स्थापना में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमति पत्र वापिस लेने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
7. संस्थान में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करावे की जिम्मेदारी सम्बद्ध प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी। सम्बन्धित विश्वविद्यालय से इस आशय का पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उक्त संस्थान के लिये प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार कोई अनुदान उपरोक्त संस्थान को देय नहीं होगी।
9. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना चाहने पर राज्य सरकार की निरीक्षण द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण समिति को वांछित समस्त सुविधाएँ प्रदान करने की संस्थान की जिम्मेदारी होगी। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार अपनी अभिशंषा परिषद को भिजवायेगी।
10. सम्पूर्ण योजना की अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की आर्थिक समक्षता होना आवश्यक है।
11. परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिये संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्थान द्वारा राज्य सरकार को अवगत कराना आवश्यक होगा।

भवदीय

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय (चिकित्सा शिक्षा)।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षणिक) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
7. उप निदेशक (एके0) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
8. प्रधानाचार्य, फार्मसी कॉलेज, उदयपुर, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य, सम्बन्धित निजी फार्मसी कॉलेज, कंरौली, अलवर, उदयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव